>

Title: Election of 15 members from Lok Sabha and 07 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों को निर्वाचित करें। "

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from among themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2012 and ending on the 30th April 2013."

The motion was adopted.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2012 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समित के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। "

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May 2012 and ending on the 30th April 2013 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.